

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: आदेश :-

क्रमांक- 87 / दो-11-2/2015

दमोह, दिनांक 27 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 21.02.2025 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर नियमित भृत्य के पद से जमादार के रिक्त पद वेतनमान 4440-7440+1400/- ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-2 वेतनमान 16100-50900/-) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जाता है :-

| स. क. | शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम | पदोन्नति का पद | रिमांक |
|-------|------------------------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री दीपक रैकवार, भृत्य | जमादार | श्री संतोष रैकवार का स्वर्गवास होने से उनके रिक्त पद पर |
| 2 | श्री कृष्ण कुमार सोनी, भृत्य | जमादार | श्री हृदय कुमार मरकाम की पदोन्नति आदेशिका वाहक के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर। |
| 3 | श्री रामेश्वर दीक्षित, भृत्य | जमादार | श्री अरूण शर्मा की पदोन्नति आदेशिका वाहक के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर। |
| 4 | श्रीमती लौंगबाई बर्मन, भृत्य | जमादार | श्री अनीश कुशवाहा की पदोन्नति आदेशिका वाहक के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर। |
| 5 | श्री राजकुमार गौड़, भृत्य | जमादार | श्री बाबूसिंह बेडिया की पदोन्नति आदेशिका वाहक के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर। |

टीप- पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

sd/-


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2025

पृष्ठांक- 760 / दो-11-2/2015

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला कोषालय अधिकारी दमोह
- 2- श्री दीपक रैकवार, भृत्य, तेन्दूखेडा
- 3- श्री कृष्ण कुमार सोनी, भृत्य, हटा
- 4- श्री रामेश्वर दीक्षित, भृत्य, दमोह
- 5- श्रीमती लौंगबाई बर्मन, भृत्य, दमोह
- 6- श्री राजकुमार गौड़, भृत्य, हटा
- 7- लेखापाल/वेतन-ऐरियर्स लिपिक/पेंशन लिपिक/ऑफिस मोहररि/एच.एम.आर.एस. लिपिक/ऑफिस टाईपिस्ट कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित।


 कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दमोह (म.प्र.)